प्र.सं. 16/20 कना व अन्य बनाम देवीसिंह के बजाय शम्भूसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 देवीसिंह व तिलोकसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सलोदा, तहसील नाथद्वारा में वादीगण के पूर्वजों की कुल किता 7 रकबा 19 बीघा ढाई भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी की आवंटन शुदा अथवा क्रय शुदा भूमि नहीं है, बल्कि पैत्रृक होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। उक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। अतः विवादित आराजियात में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.10.2001 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर उन्हें 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जबकि वादग्रस्त आराजियात के मालिक काबिज अपीलान्टगण है। अपीलान्टगण को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही दिनांक 01.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा वाद पेश किया तथा दिनांक 27.08.2020 को रिश्तेदार के माध्यम से उदयपुर में अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि आपने गलत वाद पेश किया है, इसकी तो अपील करनी चाहिए थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एम. एल. टांक उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 27.08.2020 को उदयपुर आकर वकील से राय ली एवं वकील की राय अनुसार तुरन्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः दिनांक 23.10.2001 से लेकर दिनांक 27.08.2020 तक की समय को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 20 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति से डिक्री जारी की गयी है एवं उन्हें शुरू से इसकी जानकारी थी। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

जहां तक आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी नंबर 2257, 2274, 3310, 3338, 3339, 3340, 3354 कुल किता 7 रकबा 19 बीघा ढाई विस्वा जमीन के खातेदार काश्तकार अपीलान्टगण के पिता राजिंग जी थे व उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण खातेदार हुए। उक्त आराजी के साबिक आराजी नंबर 1502, 1552, 3348, 3349, 3354, 3355, 3476, 3477, 3472/1, 3492/1 है। उक्त आराजियात अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट की पैत्रृक भूमि नहीं है, बल्कि अपीलान्ट के पिता राजिंग जी को आवंटित

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

एवं खरीद शुदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना वादग्रस्त भूमि को पैत्रृक मानकर रेस्पोन्डेन्टगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो बिना अधिकार के होकर निरस्त योग्य है। आराजी नंबर 1502 व 3492 बिलानाम सरकार थी जो बाद में अपीलान्ट के पिता राजिंग जी को आवंटित होने से उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा आराजी नंबर 1552, 3348, 3349, 3354, 3355, 3476, 3477, 3472/1 अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में थी, जिसे राजिंग द्वारा क्रय किये जाने से राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज हुई है। अपीलान्ट ने कोई सहमति नहीं दी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति मानकर निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2001 अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1312, आर.बी.जे. 2019 पेज 759, आर.बी.जे. 2004 (HC) पेज 261, ए.आई.आर. 1993 (SC) पेज 1139, ए.आई.आर. 2008 पटना पेज 128 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2001 को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में 2018 4 CPJ (NC) 359, 2022 0 Supreme (Kar) 1154, 2011 AIR CC 2233 (KAR) :: 2011 (3) AIR KANT HCR 83, कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2021 शेख शराफद्दीन बनाम अब्दुल करीम, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.04.2018 शालो देवी बनाम हंसराज, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2000 सोम दत्त बनाम गोविन्द राम, AIR 2006 Supreme Court 2628 :: 2006 AIR SCW 3549, AIR 2019 Jammu And Kashmir 5 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 में विवादित आराजी नंबर 2257, 2274, 3310, 3338, 3339, 3340, 3354 कुल किता 7 रकबा 19 बीघा ढाई विस्वा भूमि अपीलान्ट कना, जीता पिता राजिंग के खातेदारी में दर्ज था इनके साबिक आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 1502, 1552, 3348, 3349, 3354, 3355, 3476, 3477, 3472/1, 3492/1 होकर अपीलान्ट के पिता राजिंग के नाम दर्ज है, जो राजिंग द्वारा क्रय किये जाने व उसको आवंटन होने से उसके नाम दर्ज हुई है, किन्तु प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 देवीसिंह व तलोकसिंह द्वारा उक्त भूमि को रूपा जी के समय की बताते हुए तथा रूपा जी के दो पुत्र राजिंग व चन्दा बताते हुए चन्दा के वारिस होने से अपना भी 1/2 हिस्सा होने का कथन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के सही मानते हुए विवादित आराजियात में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1312 अनुसार वादीगण को भूमि पैत्रृक होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गयें हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रमाणन के विवादित आराजियात पैत्रृक मानते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 113/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2001 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested